विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

क्या बीजेपी व आरएसएस अपनी सोच बदल रहे हैं

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा है कि वह मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता की घटनाओं की निंदा करने में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के साथ एकजुट है, क्योंकि धार्मिक भेदभाव एक व्यापक चुनौती है जो सभी धर्मों के अनुयायियों को प्रभावित करती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने पिछले दिनों यह वक्तव्य दिया कि "भारत विविधता और बहुलवाद की भूमि है। यह दुनिया के लगभग हर प्रमुख धर्म के अनुयायियों का घर हैं और इसके 20करोड़ से अधिक नागरिकों द्वारा इस्लाम का पालन करने के साथ, भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है।" भारतीय प्रतिनिधि ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्लेनरी की अनौपचारिक बैठक को संबोधित करते हुए भारत की यह आधिकारिक दृष्टि प्रस्तुत की। हमारे प्रतिनिधि का कहना था कि धार्मिक भेदभाव, घृणा और हिंसा से मुक्त दुनिया को बढ़ावा देना भारत के लिए अनादि काल से जीवन का एक तरीका रहा है। "हम मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक असहिष्णुता की घटनाओं की निंदा करने में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के साथ खड़े हैं...हमारा दृढ़ विश्वास है कि सार्थक प्रगति का मार्ग यह स्वीकार करने में निहित है कि विभिन्न रूपों में धार्मिक भय हमारे विविध, वैश्विक समाज के ताने-बाने को खतरे में डालता है।" भारतीय प्रतिनिधि ने पूजा स्थलों और धार्मिक समुदायों को निशाना बनाकर हिंसा में खतरनाक वृद्धि पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत चाहता है कि "सभी देशों को अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और ऐसी नीतियों का पालन नहीं करना चाहिए जो धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देती हैं। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली रूढ़िवादिता को कायम न रखे या कट्टरता को बढ़ावा न दे।" इधर लेक्स फ्रिडमैन के पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भाईचारे के सबसे बड़े समर्थक महात्मा गांधी को सिर्फ बीसवीं सदी का ही नहीं हर सदी का महान नेता बताते हुए उन्हें याद किया और गर्व से कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो भगवान बुद्ध की भूमि है, जो महात्मा गांधी की भूमि है। दिल्ली की नई बनी बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा (दिल्ली प्रदेश) द्वारा आयोजित दावत-ए-इफ्तार कार्यक्रम में भाग लिया और कहा कि उन्हें उसमें शामिल होकर सभी भाइयों और बहनों के साथ सद्भाव और एकता का संदेश साझा करने का अवसर मिला है। उनका सार्वजनिक बयान था कि हमारी संस्कृति आपसी सम्मान, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है और ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता और सद्भाव को और मजबूत करते हैं।" राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी बार-बार अपने संबोधनों में समाज में भाईचारे की तरफदारी करते हुए कहते हैं कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है... तिरस्कार और शत्रुता के लिए हर रोज नए प्रकरण निकालना ठीक नहीं है और ऐसा नहीं चल सकता। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार का यह कथन भी महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम समुदाय को डराने या सांप्रदायिक विवाद पैदा करने के किसी भी प्रयास का सख्त जवाब दिया जाएगा और आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये सारे वक्तव्य क्या बीजेपी और आरएसएस के सोच में आ रहे परिवर्तक के संकेत हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है। हालांकि ये सारी भावनाएं वे ही हैं जो भारतीय संविधान में मौजूद है। लेकिन नफ़रत से भरे दिमाग वाले लोग भी इस देश में हमेशा रहे हैं। ऐसे ही लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां दागने का विकृत सोच हत्यारे को दिया। सत्य, अहिंसा और प्रेम के पुजारी की हत्या पर खुशियां मनाने और हत्यारे का महिमामंडन करने वाले आज भी मौजूद हैं और अपनी नफ़रत फैलाने के प्रपंच रचते रहते हैं। इन्हीं ने देश में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर चुनावी राजनीति में ध्रुवीकरण करके बीजेपी को सत्ता में बिठाने में मदद की है। एक कहावत है कि शेर की सवारी करना आसान होता है किन्तु उस पर से उतरना मुश्किल होता है। क्या केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी तथा उसे वैचारिक आधार देने वाले संगठन शेर की सवारी से उतारने का प्रयास कर रहे हैं?

राष्ट्र की केवल एक ही अच्छी परिभाषा हो सकती है कि लोग एक-दूसरे की भलाई के बारे में चिंतित होकर और समान नैतिक और सांस्कृतिक लक्ष्य रखकर एक हों। लेकिन जब लोग उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि वे अपने संघर्ष में सही और गलत के बीच अंतर करना बंद कर देते हैं, तो वे एक ऐसे खतरनाक बिंदु पर पहुंच जाते हैं,जहां केवल विनाश के अलावा कुछ नहीं होता। नये आये यदि इस समझ के साथ आए हैं तो शुभ है।

वोट की प्रतिस्पर्धी राजनीति ने हिन्दू-मुसलमान संबंधों पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। सभी राजनीतिक दलों ने इस धार्मिक विभाजन का चुनावों में अलग-अलग समय पर लाभ उठाया है। जहां एक तरफ मुसलमान आरएसएस और भाजपा को अपना जाति दुश्मन समझ कर उनके विरोध में अपने वोटों का संगठित रूप से उपयोग करते रहे हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी इसी को हथियार बनाते हुए मतदाताओं के बीच ध्रुवीकरण करने में सफल हुई। जिन वक्तव्यों का ऊपर हवाला दिया गया है वे तभी वास्तविक धरातल पर आ सकते हैं जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ अपने कैडर को मुस्लिम समुदाय के प्रति नफ़रत का ज्वार उठाने की आदत छोड़ने की समझदारी सिखायेंगे। धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथी विचारधाराएं दोनों समुदायों के बीच दीवारें खड़ी करती हैं। ऐसा बीसवीं सदी के पहले दो दशकों के बाद से ही होता चला आ रहा है। चुनावी प्रतिस्पर्धी राजनीति के चलते नया डिजिटल मीडिया इसमें आग में घी का काम कर रहा है, जहां नफ़रत फैलाने वालों को खुला मैदान मिल गया है। मुख्यधारा का मीडिया भी नफ़रत का दरिया बहाने में सोशल मीडिया की ही राह पकड़ रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मीडिया संस्थानों को भी नफरत फैलाने वाली खबरों से अपने व्यवसाय का मुनाफा कमाने में अब कोई उठा नहीं रहा है। राष्ट्र की केवल एक ही अच्छी परिभाषा हो सकती है कि लोग एक-दूसरे की भलाई के बारे में चिंतित होकर और समान नैतिक और सांस्कृतिक लक्ष्य रखकर एक हों। लेकिन जब लोग उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि वे अपने संघर्ष में सही और गलत के बीच अंतर करना बंद कर देते हैं, तो वे एक ऐसे खतरनाक बिंदु पर पहुंच जाते हैं,जहां केवल विनाश के अलावा कुछ नहीं होता। नये आये यदि इस समझ के साथ आए हैं तो शुभ है।

यह भी सही है कि हिन्दू और मुसलमान समुदाय के बीच ऐतिहासिक समस्याएं रही हैं और संघर्ष भी, क्योंकि दोनों समुदायों के बीच संबंधों का इतिहास बहुत ही जटिल और विविधतापूर्ण रहा है। दोनों समुदायों के बीच की धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं हमेशा से इसका एक मुख्य कारण रही हैं। हिन्दू धर्म बहुदेववादी है, जबकि इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। मुसलमान विजेता के रूप में भारत आए थे और आठ सौ वर्षों तक देश पर शासन किया। इस अवधि के दौरान, वे यहीं बस गए, विवाह किए और यहां के कई रीति-रिवाजों को अपनाते हुए यहां के लोगों को अपने धर्म में बलपूर्वक भी शामिल किया। वे इस देश के लोगों के साथ कभी भी पूरी तरह से एक नहीं हुए। इस निरंतर अलगाव का कारण उनके धर्म में निहित था। इस्लाम के स्पष्ट सिद्धांतों को किसी भी अन्य पंथ के साथ समाहित नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों के शासन काल में भी दोनों लोगों के बीच बुनियादी अंतर गायब नहीं हुआ, बल्कि वह और भी मजबूत हो गया। मुसलमानों को शासक के रूप में अंग्रेजों की सर्वोच्चता और हिंदुओं की संख्यात्मक श्रेष्ठता, दोनों से ही खतरा महसूस हुआ और अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए वे अपनी जीवन शैली और हर उस छोटी-छोटी बात पर अधिक दृढ़ता से अड़े रहने लगे, जो उनकी संस्कृति को हिंदुओं से अलग बनाती थी। ये मतभेद किसी बाहरी व्यक्ति को मामूली लग सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए अपने अलग अस्तित्व की रक्षा के प्रहरी की तरह थे। मुल्क के बंटवारे के बाद मामला दोस्ताना तरीके से सुलझ जाना चाहिए था, मगर वह नहीं हो सका। अरब में तेल से आई समृद्धि के पेट्रो डॉलर दुनिया भर में इस्लाम को कट्टर बनाने में ही खर्च हुए। भारत में भी अरबी इस्लाम पसर गया। इसने इस्लाम में सुधार की गुंजाइश के सारे दरवाजे बंद कर दिए।

जीवन में बहुत कम चीजें काली और सफेद होती हैं, अधिकांश मानवीय वास्तविकताएं कहीं बीच के जटिल व वैकल्पिक दो रंगों में होती है। लेकिन आज राजनीति काले और सफेद में सिमट कर रह गई है। या तो आप पक्ष में हैं या विपक्ष में। बीच में कुछ भी नहीं। भारतीय राजनीति में यदि कोई गुणावगुण के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए बीच का रास्ता अख्तियार करता हैं तो वह खतरे में होता हैं। राजनीति का यह दृष्टिकोण, भारतीय मीडिया प्रतिदिन अपनी रिपोर्टों से राजनीतिक विमर्श को दूषित करता है। यह लोकतंत्र को एक ऐसे खेल में बदल देता है, जहां एक पक्ष द्वारा किया गया हर काम दूसरे पक्ष को अपने आप बुरा और अस्वीकार्य होता है। इससे निष्पक्ष बहस की संभावना खत्म हो जाती है। हर किसी को एक स्टॉक कैरिकेचर में बदल दिया जाता है, जिसमें केवल पार्टी की संबद्धता महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र कोई कबड्डी का खेल नहीं, बल्कि एक सतत प्रक्रिया होती है, जिसमें विभिन्न हितों के बीच लेन-देन, संवाद और समझौते की अपेक्षा होती है। यहां सांप्रदायिक सद्भाव की जरूरत समझ में आती है।

–अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

राजस्थान की स्थापना एवं नामकरण का सच

राजपाल जाट

राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुई थी। इसके संबंध में सातवें संविधान संशोधन के द्वारा 'राज प्रमुख' का पद समाप्त कर 'राज्यपाल' का पद बनाया गया, जिसके प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अधीन 1 नवंबर 1956 को 26 जिले बनाए गए थे। राजस्थान में 19 बड़ी रियासतें, तीन ठिकाने वाला नीमराणा और कुशलगढ़, धौलपुर, करौली, टोंक के अतिरिक्त ब्रिटिश शासन के अधीन अजमेर - मेरवाड़ा का भी विलय हो गया था। राजस्थान में विधानसभा का पहला चुनाव 1952 में हुआ था जिसका मतदान 4 से लेकर 24 जनवरी तक चला था। विधानसभा का गठन 28 फरवरी तथा उसकी पहली बैठक 29 मार्च 1952 को हुई थी। उस समय विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 160 थी। अजमेर - मेरवाडा की धारा सभा में 30 निर्वाचन क्षेत्र थे, यह क्षेत्र उस समय ब्रिटिश शासन का अंग होने से राजस्थान से पृथक था। प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल 16 वर्ष 194 दिन रहा। विधानसभा के गठन के पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल एवं जयनारायण व्यास ने संभाला था।

15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाकर संयुक्त राजस्थान बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को राजस्थान राज्य के रूप में परिवर्तित किया गया। मध्य प्रदेश की भानुपुरा तथा गुजरात की आबू तहसीलों को भी राजस्थान में सम्मिलित किया गया था। इस राज्य के बनने की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 को आरंभ हुई थी जो सात चरणों में एकीकरण के द्वारा पूरी हुई। इस प्रदेश में भील एवं मीणा जाति आदिकाल से ही रहती थी। राजस्थान राज्य की औपचारिक घोषणा 14 जनवरी 1949 को सरदार वल्लभभाई पटेल के द्वारा की गई थी। उसके बाद 30 मार्च 1949 वर्ष प्रतिपदा के दिन 10:40 के शुभ मुहूर्त में स्थापना की गई थी। यह भी सुखद संयोग है कि इस बार 30 मार्च एवं वर्ष प्रतिपदा साथ-साथ है। इसके निर्माण में सरदार वल्लभभाई पटेल एवं उनके सचिव बी पी मेनन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया निम्न सात चरणों में पूरी हुई थी :–

पहला चरण: 18 मार्च, 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और करौली ने मिलकर 'मत्स्य संघ' बनाया।

दूसरा चरण: 25 मार्च, 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, और मेवाड़ क्षेत्र वाले शाहपुरा ने मिलकर 'राजस्थान संघ' बनाया।

तीसरा चरण: 18 अप्रैल, 1948 को उदयपुर का 'राजस्थान संघ' में विलय हो गया।

चौथा चरण: 30 मार्च, 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और जैसलमेर को 'संयुक्त राजस्थान' में मिला दिया गया।

पांचवां चरण: 15 मई, 1949 को मत्स्य संघ का विलय 'वृहत् राजस्थान' में हो गया।

छठा चरण: 26 जनवरी, 1950 तक आबू और देलवाड़ा को छोड़कर 'संयुक्त राजस्थान' की 18 रियासतें और सिरोही रियासत का विलय हो गया।

सातवां चरण: 1 नवंबर, 1956 को 'राजस्थान' का एक राज्य के रूप में गठन पूर्ण हुआ।

राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग रही, जिसका काल लगभग 3500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रहा, उसकी प्राचीन नियोजित बसावट थी। यहाँ विश्व का पहला जोता हुआ खेत मिला है। राज्य का नाम राजस्थान होने का श्रेय बिजौलियां किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक को जाता है। वे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निकट ग्राम गुठावली अख़्तारपुर में जन्मे थे, उनका नाम भूप सिंह भाटी था। वे स्वतन्त्रता सेनानी थे, राजस्थान उनकी कर्मभूमि रही। वे कवि एवं साहित्यकार थे, उनके द्वारा विभिन्न समयों पर रचित कविताओं का संग्रह 'पथिक विनोद' में उपलब्ध राजस्थान का राष्ट्रगीत:–

अजित, ललित, हरित, स्त्रवित, द्रवित, शांतिकुंज।
प्रकृति प्रथित, सुमन ग्रथित, अमित गिरि, निकुंज।
गहन वनों से अभेद्य, सहज ही अथक, अक्लेद्य।
स्थर्य, धैर्य, वीर्य, शौर्य के विलास स्थान।
नमो राजस्थान।।

जिसमें राजस्थान की महिमा का वर्णन करते हुए राजस्थान को 'नमो राजस्थान' कहकर नमन किया है। उन्होंने राजपूताना की छोटी-छोटी रियासतें (राज्यों) को मिलाकर एक प्रदेश बनाने का विचार प्रतिपादित किया था और उसी का नाम उन्होंने राजस्थान रखने का सुझाव व्यक्त किया था।

एक उल्लेख यह भी आता है कि कर्नल जेम्स टाड वर्ष 1817-18 में उदयपुर के पोलिटिकल एजेंट रहे थे। उन्होंने 5 वर्ष तक राजस्थान की जानकारी एकत्र की और वर्ष 1829 में 'एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान' नामक पुस्तक में राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है।

इससे यह तो स्पष्ट है की राज्य के रूप में राजस्थान का नामकरण भूपसिंह भाटी से विजयसिंह पथिक बने क्रांतिकारी द्वारा ही किया गया था। उसके पूर्व वर्ष 1800 में जॉर्ज थॉमस ने 'राजपूताना' नाम दिया था। वर्तमान में राजस्थान 41 जिले है। भूगोलिक दृष्टि 2,32,239 वर्गकिलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें मैदानी, पर्वतीय, झीलें एवं रेगिस्तानी भूभाग सम्मिलित है। छटी विधानसभा से वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्रो की संख्या 200 है।

–रामपाल जाट,
राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान महापंचायत

डॉ. मनमोहन सिंह क्या वाकई 1991 के आर्थिक सुधारों के जनक थे?

सुनील दत्त गोयल

1991 का आर्थिक संकट भारत के लिए एक बड़ा झटका था। इस संकट के लिए कई कारण जिम्मेदार थे, जिनमें पिछली सरकारो की गलत नीतियां, संरचनात्मक कमियां और बाहरी आघात शामिल थे। इस संकट की जड़ें 1970 और 1980 के दशक में वित्त मंत्रालय और उस समय के आर्थिक सलाहकारों की नीतियों में छिपी हुई थीं। इस दौरान उनकी भूमिका और वित्त मंत्रालय की नीतियों की विफलताओं पर चर्चा की जानी चाहिए। 1991 के आर्थिक सुधारों को लेकर डॉ. मनमोहन सिंह का महिमामंडन अक्सर किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक है कि इस पर तथ्यात्मक और निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए। 1970-80 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती रही। उस दौर में डॉ. मनमोहन सिंह विभिन्न उच्च पदों पर रहे, जिनमें मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर और योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल थे। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया, लेकिन उन नीतियों में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं दिखाई दिया। इसके विपरीत, भारत की आयात नीतियों और संरक्षणवादी रुख ने कई घरेलू उद्योगों को कमजोर कर दिया।

यह जानना दिलचस्प है कि आपातकाल से पहले भारत में आयकर की अधिकतम दर लगभग 22 प्रतिशत थी, जो 1973-74 में बढ़कर 97.5 प्रतिशत से भी अधिक हो गई थी। यह दर उस समय की वित्तीय नीतियों की असफलता को दर्शाती है, जिसमें डॉ. सिंह का योगदान रहा, क्योंकि वे उस समय आर्थिक नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। पाम ऑयल आयात की अनुमति जैसे निर्णयों ने भारतीय तेल उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी प्रकार, अनियंत्रित आयात नीतियों के कारण 1980 से 2010 के बीच भारत में कई लघु और मध्यम उद्योग बंद हो गए। यह दौर वही था, जब डॉ. सिंह नीति-निर्धारण का हिस्सा थे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर उन्होंने 1991 में आर्थिक सुधार किए, तो उनके दशकों पुराने गलत फैसलों के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा?

1991 के सुधारों का श्रेय अक्सर डॉ. मनमोहन सिंह को दिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव का साहसिक नेतृत्व था, जिसने भारत को दिवालियेपन से बचाया। राव ने और विश्व बैंक की शर्तों को स्वीकार कर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक नीतियों में बदलाव किया। डॉ. सिंह, जो वित्त मंत्री थे, बस इन नीतियों को लागू कर रहे थे।

वास्तविकता यह है कि डॉ. मनमोहन सिंह को कृत्रिम रूप से एक आर्थिक सुधारक का रूप दिया गया। उनके लिए एक पूर्व-नियोजित नैरेटिव गढ़ा गया, जिससे उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का 'जनक' बना दिया गया, जबकि सच्चाई यह है कि वे मुख्यत: घ्श्इ और विश्व बैंक के निर्देशों को लागू करने वाले एक प्रशासनिक अधिकारी थे। यदि उन्हें सुधारों का श्रेय दिया जाता है, तो उनके पूर्व की विफल नीतियों की जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेनी चाहिए।

यह भी उल्लेखनीय है कि डॉ. मनमोहन सिंह कभी भी सिविल सेवा परीक्षा पास करके नौकरशाही में नहीं आए, बल्कि उन्हें लैटरल एंट्री के तहत सीधे उच्च पदों पर नियुक्त किया गया।

आने वाले लेख में, हम भारत में लैटरल एंट्री सिस्टम के तहत नियुक्त लोगों की सूची और उनके प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इन नियुक्तियों ने देश की प्रगति में कितना योगदान दिया और कितनी बार ये निर्णय विदेशी दबावों और राजनीतिक स्वार्थ के कारण लिए गए। हालांकि, 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में भारत ने व्यापक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे देश को एक नई दिशा मिली। उस समय वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे, जो राव के निर्देशानुसार सुधार नीतियों को लागू कर रहे थे।

1991 संकट की जड़ें: मनमोहन सिंह की पूर्ववर्ती नीतियाँ

1970-80 के दशक की गलतियाँ:

मनमोहन सिंह ने 1972-76 में मुख्य आर्थिक सलाहकार, 1982-85 में RBI गवर्नर और 1985-87 में योजना आयोग के प्रमुख के रूप में "कर-सब्सिडी आधारित अर्थव्यवस्था" को बनाए रखा।

उनकी नीतियों ने विदेशी मुद्रा भंडार को 1991 तक 1.2 अरब डॉलर तक गिरा दिया, जो मात्र 3 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था।

1980 के दशक में राजीव गांधी सरकार द्वारा विदेशी कर्ज़ पर अत्यधिक निर्भरता (GDP का 8% राजकोषीय घाटा) को रोकने में विफल रहे।

लैटरल एंट्री का विवादास्पद मॉडल:

सिंह को 1976 में बिना सिविल सेवा परीक्षा के सीधे वित्त सचिव नियुक्त किया गया।

इस पद्धति ने "अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रभाव" को बढ़ावा दिया, जिससे 1991 संकट की पृष्ठभूमि तैयार हुई।

पी.वी. नरसिम्हा राव: संकट प्रबंधन के वास्तुकार

रणनीतिक निर्णयों की श्रृंखला:

राजनीतिक साहस:---अल्पमत सरकार होते हुए भी /विश्व बैंक के दबाव को राष्ट्रीय हितों के साथ जोड़ा।

46 टन सोना गिरवी रखकर 60 करोड़ डॉलर जुटाए और रुपये का 17.38% अवमूल्यन किया।

नीतिगत क्रांति:------नई औद्योगिक नीति 1991 के माध्यम से 80% उद्योगों से लाइसेंस राज समाप्त किया।

FDI सीमा 51 प्रतिशत तक बढ़ाकर "वैश्वीकरण का मार्ग" प्रशस्त किया।

टीम प्रबंधन:---मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाकर "क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी" सौंपी, परंतु बजट का पुनर्लेखन स्वयं करवाया।

50 कांग्रेस सांसदों के विरोध के बावजूद सुधारों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान किया।

लैटरल एंट्री: एक विफल प्रयोग

1976 की नियुक्ति का प्रभाव: सिंह के 'अकादमिक दृष्टिकोण' ने नौकरशाही को व्यावहारिक नीति निर्माण से दूर किया।

1991 संकट में भूमिका: 1980 के दशक में RBI गवर्नर के रूप में विदेशी कर्ज़ प्रबंधन में विफलता ने संकट को गहराया।

निष्कर्ष:-----1991 के आर्थिक सुधारों की सफलता का मूल आधार पी.वी. नरसिम्हा राव का रणनीतिक और राजनीतिक नेतृत्व था, जबकि मनमोहन सिंह की लैटरल एंट्री के माध्यम से नौकरशाही में शामिल होकर दीर्घकालिक नीति निर्माण में भागीदारी ने 1970-80 के दशक में आर्थिक संकट की बुनियाद रख दी थी। राव ने न केवल देश को दिवालियेपन के कगार से बचाया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की साख को स्थापित किया। यह ऐतिहासिक सत्य है कि राव के नेतृत्व और साहसिक निर्णयों के बिना, मनमोहन सिंह की तकनीकी कुशलता व्यर्थ होती।

1991 के आर्थिक सुधारों में दोनों की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से अलग थीं। नीति निर्माण के स्तर पर राव ने घ्श्इ और विश्व बैंक के सुझावों को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर साहसिक निर्णय लिए, जबकि सिंह की भूमिका मुख्यत: तकनीकी क्रियान्वयन तक सीमित थी। राजनीतिक जोखिम उठाने में भी राव अग्रणी थे-उन्होंने संसदीय विरोध और आलोचनाओं का सामना करते हुए सुधारों को आगे बढ़ाया, जबकि सिंह विवादों से बचते हुए केवल वित्तीय नीतियों को लागू करने पर केंद्रित रहे।

दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में, राव के नेतृत्व में भारत की GDP वृद्धि दर 5.6% से बढ़कर 7.5% हो गई, जबकि मनमोहन सिंह के वित्तीय प्रशासन के दौरान (1970-80 के दशक में) औसत वृद्धि दर मात्र 3.5%थी। 1991 में राव सरकार के नेतृत्व में बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया गया, कृषि सुधारों पर ध्यान दिया गया और लाइसेंस राज को समाप्त कर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया गया। इस प्रकार, 1991 के आर्थिक संकट का समाधान और सुधारों की सफलता का श्रेय मुख्य रूप से प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के राजनीतिक साहस, निर्णायक नेतृत्व और दूरदर्शी नीतियों को जाता है।

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
जयपुर, राजस्थान

वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खत्म होने से शिक्षा विभाग ने नया रास्ता निकाला

- **राज्य के सभी सीनियर सेकंडरी स्कूल में सीनियर लेक्चरर के पद होंगे**
- **स्कूल में अब सीनियर लेक्चरर का पद, वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म, इन पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा**

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद खत्म होने के साथ ही अब सीनियर लेक्चरर का पद बनाया जा रहा है। लेक्चरर को प्रमोशन वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल पोस्ट पर मिलता था। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट खत्म होने से शिक्षा विभाग ने नया रास्ता निकाला है। राज्य के सभी सीनियर सैकंडरी स्कूल में सीनियर लेक्चरर के पद होंगे। इन पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा।

शिक्षा विभाग ने राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों में संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शिक्षा ग्रुप एक ने निदेशालय से प्रस्ताव मांग लिए हैं। अब निदेशालय सीनियर लेक्चरर के पद की योग्यता और कार्य विभाजन को लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। इन प्रस्तावों को शिक्षा ग्रुप से स्वीकृति मिलने के बाद पद आवंटन का काम होगा। इसके बाद ही लेक्चरर को सीनियर लेक्चरर के रूप में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

पद भले ही नया सृजित किया जा रहा है लेकिन वेतन निर्धारण पहले की तरह होगा। सीनियर लेक्चरर को एल 14 नियमों के तहत वेतन निर्धारित किया जाएगा। इन सीनियर लेक्चरर को स्कूल में प्रिंसिपल के बाद सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल का पद रिक्त होगा तो उसकी जगह सीनियर लेक्चरर को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में सीनियर लेक्चरर का काम वही होगा जो पहले वाइस प्रिंसिपल का था। सिर्फ पद नाम बदलकर लेक्चरर के प्रमोशन की तैयारी की जा रही है।

खेल अकादमियों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू

झुंझुनूं, (निसं)। भजनलाल सरकार खिलाड़ियों के लिए नए दरवाजे खोल रही है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने झुंझुनूं की वॉलीबॉल अकादमी समेत प्रदेश में संचालित 22 खेल अकादमियों में खिलाड़ियों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके ट्रायल सात अप्रेल से एसएमएस स्टेडियम जयपुर में होंगे। इन अकादमियों में ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिन खिलाड़ियों को इन अकादमियों में प्रवेश मिलेगा, उनके 20 साल की आयु तक सरकार उन्हें ना केवल बेहतरीन प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी, बल्कि उनके रहने, खाने, खेलने के अलावा पढाई तक का खर्चा सरकार उठाएगी।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 2 अपैल, 2025

चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, कृत्तिका नक्षत्र प्रात: 8:50 तक, आयुष्मान योग रात्रि 2:50 तक, बव करण दिन 1:11 तक, चन्द्रमा आज वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज सवार्थ सिद्धि योग सम्पूर्ण दिन-रात है। रवियोग प्रात: 8:50 तक है। कुमार योग प्रात: 8:50 से सूर्योदय तक है। आज मंगल कर्क राशि में रात्रि 1:27 से प्रवेश करेगा। आज श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, कल्पादि, रोहिणी व्रत (जैन) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:26 तक, शुभ 10:58 से 12:11 तक, चर 3:35 से 5:04 तक, लाभ 5:08 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:21, सूर्यास्त 6:40

मेष
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है।

वृष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

कर्क
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आज अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

**तु